137

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 939–तीन/1999 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–1998 – पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 48/1995–96 गिगरानी

मिहीलाल पुत्र हरपाल काछी
निवासी ग्राम मनोहर का पुरा
मजरा एण्डोरी परगना गोहद
जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– शीला देवी पत्नि स्व.बनवारीलाल
ग्राम पण्डा का पुरा (अख्त्यारपुरा)
तहसील गोहद जिला भिण्ड
2– भागीरथ पुत्र जयसीराम
ग्राम मनोहर का पुरा
मजरा एण्डोरी परगना गोहद
जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश
3– चिरोंजीवाई 4-- बादामीवाई
दोनों पुत्रियां उदयभान काछी
बार्डक–9 तहसील गोहद जिला भिण्ड
5– बदनसिंह पुत्र बंशी नावालिक
सरपरस्त मॉ विद्यादेवी
6– रामसिंह पुत्र गंगाराम
ग्राम मनोहर का पुरा
मजरा एण्डोरी परगना गोहद
जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश ----अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री सुशील अवस्थी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 19 – 9 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चबल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 48/1995–96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30 सितम्बर, 1998 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राज0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार गोहद के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 169, 190, 110 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत बताया कि ग्राम एण्डोरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 827 रकबा 0.439 हैक्टर, 944 रकबा 0.523 हैक्टर, 976/2 रकबा 0.115 हैक्टर, 1020/5 रकबा 0.031 हैक्टर , 977 रकबा 0.177 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) भागीरथ पुत्र जयसी राम, महिला चिरोंजावाई , महिला बादामी वाई से बदना के पिता बंशी से एंव उदयभान पुत्र गनेशा एंव रामसिंह पुत्र गंगाराम से असाढ़ माह सन 1978 में 100/- वार्षिक लगान पर मौरूषी कृषक के रूप में जोती थी तभी निरन्तर खेती करता आ रहा है जिसके आधार पर भूमिस्वामी स्वत्व उदभूत हो चुके हैं। इसी भूमि पर गंगाराम एंव आशाराम पुत्रगण नेहने तथा मंगलिया पुत्र बट्टू का गलत नाम दर्ज चला आ रहा है इसलिये वादग्रस्त भूमि पर उसका नाम दर्ज किया जाय। तहसीलदार गोहद ने प्रकरण कमांक 90/1987-88 अ 46 पंजीबद्ध किया एंव पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनांक 22-3-1991 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर आवेदक को मौरूषी कृषक होना प्रमाणित होने पर नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 7/1991-93 में पारित आदेश दिनांक 20.11.1995 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर गुणदोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी क0 48/95-96 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक

30-9-1998 से निगरानी निरस्त हुई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि को भागीरथ पुत्र जयसी राम, महिला चिरोंजावाई , महिला बादामी वाई से , बदना के पिता बंशी से एंव उदयभान पुत्र गनेशा तथा रामसिंह पुत्र गंगाराम से असाढ़ माह सन् 1978 में 100/- वार्षिक लगान पर मौरूषी कृषक के रूप में जोती थी तभी निरन्तर खेती करता आ रहा है जिसके आधार पर भूमिस्वामी स्वत्व उदभूत हो चुके हैं। तहसीलदार ने जॉच में आवेदक को मौरूषी कृषक होना पाया है तभी उसका आदेश दिनांक 22-3-1991 से वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण किया गया है। यह मामला तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 190 के तहत 27-4-88 को, प्रस्तुत होकर 22-3-91 से निराकृत हुआ है एंव वादग्रस्त भूमि पर आवेदक बेरोकटोक आज तक निरन्तर खेती करता आ है जिसे 27 साल हो चुके है। आवेदक व्यर्थ की मुकदमेवाजी में फॅसा है उसे न्याय प्रदान किया जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुकम में तहसीलदार गोहद के प्रकरण कमांक 90/87-88 अ 46 का अवलोकन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 169, 190, 110 के अंतर्गत प्रस्तुत दावे के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त भूमि आवेदक को वर्ष 1878 में भूमिस्वामियों ने

100/- रूपये नजराना लेकर जुतवाने का तथ्य है ओर उसी समय से अर्थात आज से 37 वर्ष पूर्व से वह वादग्रस्त भूमियों पर निरन्तर खेती करते आ रहा है। तहसीलदार गोहद के प्रकरण कमांक 90/अ-46/87-88 में पृष्ठ कमांक 16 पर भगीरथ पुत्र जयसी राम एवं रामसिंह पुत्र गंगाराम द्वारा दिया गया आवेदन पत्र संलग्न है।

6- मैने प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा निगरानी मेमों में उल्लेख तथ्यों पर विचार किया तथा संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा पारित अपने आदेश में विस्तृत रूप से विवेचना की जा चुकी है उसे पुनः दोहराना आवश्यक नहीं हैं प्रकरण में संलग्न खसरा संबत 2041 लगायत 2045 के खाना नंवर 3 में सर्वे कमांक 944 पर गंगाराम, आशाराम पुत्र नेहने जाति जाटव निवासी मनोहरपुरा मौरूषी कृषक दर्ज हैं खाना नंवर 3 में ही सर्वे कमांक 976/2 वगैरा पर रामसिंह पुत्र गंगाराम जाति काछी निवासी गोहद भूमिस्वामी दर्ज हें खसरा में इस प्रविष्टि से यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि रामसिंह गंगाराम काछी का पुत्र है न कि गंगाराम जाटव का। दूसरा बिन्दु यह है कि आशाराम द्वारा यह है कि आशाराम द्वारा मंगलिया को दत्तक पुत्र बनाया है यह भी बिन्दु विचारणीय है। आशाराम जाति के जाटव है और मंगलिया जाति का काछी । यदि आशाराम को दत्तक पुत्र बनाना ही था तो वह अपनी ही जाति के किसी वालक को बनाते । इन दोनों ही बिन्दुओं पर विद्वान तहसीलदार गोहद द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार ही नहीं किया गया बल्कि जल्दवाजी में प्रकरण का निराकरण कर दिया गया । तहसीलदार गोहद को दत्तक पुत्र के संबंध में तथा रामसिंह गंगाराम जाटव का पुत्र था या गंगाराम काछी का इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय लिया जाना था, मात्र कहने मात्र से विश्वास नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार गोहद द्वारा पारित आदेश न्याय प्रकिया एवं न्याय

की दृष्टि में दोनों हीतहर से दूषित है ओर एसे दूषित आदेश को विद्वान अनुविभागीय अधिकारी गोहद एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। परिणामस्वरूप अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का आदेश दिनांक 30.9.98 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर